संख्या 31011/7/2014-स्था.(क-IV)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
* * *

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001
दिनांक : 28 नवम्बर, 2014

**कार्यालय ज्ञापन**

विषय :- **केंद्रीय सिविल सेवाएं (यात्रा अवकाश रियायत) नियम, 1988 में जम्मू और कश्मीर में प्राइवेट एयरलाइंस द्वारा यात्रा करने के लिए छूट ।**

अधोहस्ताक्षरी को इस मंत्रालय के दिनांक 26 सितम्बर, 2014 के कार्यालय ज्ञापन सं. 31011/3/2014-स्था(क-IV) का संदर्भ देने का निदेश हुआ है । यह निर्णय लिया गया है कि सरकारी सेवक उक्त कार्यालय ज्ञापन द्वारा निर्धारित की गई विशेष छूट योजना के अन्तर्गत जम्मू और कश्मीर (जे एंड के) की यात्रा के दौरान अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी) का लाभ उठाते हुए निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्राइवेट वायुयान से भी यात्रा कर सकते हैं:-

(1) ऐसे अधिकारी जो वायुयान द्वारा यात्रा करने के हकदार हैं, अपने मुख्यालय से निजी वायुयानों द्वारा भी यात्रा कर सकते हैं ।

(2) ऐसे अधिकारी जो वायुयान द्वारा यात्रा करने के हकदार नहीं हैं, उन्हें भी दिल्ली अमृतसर और जम्मू-कश्मीर किसी स्थान के बीच प्राइवेट वायुयान द्वारा यात्रा करने की अनुमति दी जा सकती है ।

2. वायुयान द्वारा यात्रा केवल इकोनामी क्लास में और एयर इंडिया के एलटीसी-80 किराए में या कम किराये में करने की अनुमति है।

3. छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) का लाभ लेकर यात्रा करते समय वायुयान टिकट सीधे एयर लाइंस के (बुकिंग काउंटर, एयरलाइंस की वेबसाइट) अथवा प्राधिकृत यात्रा एजेंटो अर्थात मैसर्स बामर ऐंड लारी एंड कंपनी, मैसर्स अशोक ट्रेवल्स एवं टुअर्स और आईआरसीटीसी डीओपीटी के दिनांक 02.12.2009 के कार्यालय ज्ञापन सं. 31011/6/2002-स्था.(क) के अनुसार जिस सीमा तक आईआरसीसटीसी जिस सीमा तक आईआरसीटीसी अधिकृत हैं से खरीदे जा सकते हैं।

4. इस मंत्रालय के दिनांक 26.09.2014 के कार्यालय ज्ञापन सं. 31011/3/2014.(क-IV) में निर्धारित अन्य सभी शर्ते लागू रहेगी ।

5. यह आदेश, जारी होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगा।

ह0/-

(बी. बंद्योपाध्याय)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।